न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 21/2017

1. हरीराम पुत्र प्रभुराम
2. नरेश कुमार पुत्र हरीराम
3. सुरेन्द्र कुमार पुत्र हरीराम
4. रेणु पुत्री हरीराम

} जाति नाई निवासीगण 4 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर

—अपीलांट्स

बनाम

1. मोहित (नाबालिग) जरिये पिता व कुदरती बली राजकुमार पुत्र कृष्णलाल जाति नाई निवासी वार्ड नं. 14 सूरतगढ ब्राहमण धर्मशाला के पास सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
2. सुमन पुत्री हरीराम जाति नाई निवासी वार्ड नं.14 सूरतगढ ब्राहमण धर्मशाला के पास सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर
4. जगदीश गोदारा पुत्र चेतनराम जाति जाट निवासी वार्ड न.7 सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी, श्रीगंगानगर

दिनांक 14.06.2016

12/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उपस्थितिः—

श्री भगतसिंह जाखंड, अभिभाषक अपीलांट।

श्री रणजीत सारड़ीवाल अभिभाषक रेस्पोडेन्टान ।

श्री इकबालसिंह सिद्धु, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक :— 12.09.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण/ रेस्पों. सं. 1, 2 ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष रा.का.अ. की धारा 88, 91, 188, 92 का मालूराम के परिवार की वंशावली दर्शात हुए पेश किया कि मालूराम के नाम से खाता संख्या 17 के विभिन्न मुरब्बाजात में 79.01 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी । मालुराम के की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों के नाम से विरासतन दर्ज हुई। वादी की माता उर्मिला व वादी सं0 2 की माता प्रभु कि नाम से 1/3 हिस्सा दर्ज है। विवादित भूमि में वादी 1 का 1/6 हिस्सा व वादी सं0 2 का 1/6 बनता है। प्रतिवादी सं0 1 अब प्रतिवादी सं02 व 3 के अनुचित प्रभाव में है तथा उनके नेाम से दर्ज भूमि को आगे मुन्तकिल करने की फिराक में है जबकि वादी का जन्म से हक व हिस्सा बनता है। वादीगण ने प्रतिवादी सं.1 को बार—बार आग्रह किया कि वह उसके नाम से दर्ज आराजी में जो हिस्सा वादीगण का वह उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे । लेकिन उनके द्वारा इन्कार कर दिया यही वादकारण पेदा हुआ हैं अतः निवेदन है कि वाद वादीगण स्वीकार

12/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

करते हुए वाद पत्र के अनुतोष की मद क ख के अनुसार वाद डिक्री किया जावे ।

प्रतिवादीगण ने जबाव दावा पेश कर वाद खारिज करने का निवेदन किया ।

दावा एवं जबाव दावा के आधार पर अधी.न्यायालय ने अनुतोष सहित 4 वाद बिन्दु कायम किये गये । सुनवाई के पश्चात दिनांक 14.06.2016 को वादीगण का वाद स्वीकार कर लिया । जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधी.न्यायालय ने वाद बिन्दुओं का निर्णय 2–3 लाईनों में को दिया एवं अधी.न्यायालय ने जो आवश्यक तनकीयात कायम करनी थी वह कायम नहीं की है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा. पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावें ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा यह अपील मियाद बाहर पेश की है, अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी थी एवं अपीलांट के अधिवक्ता अधी.न्यायालय में उपस्थित थे । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत

12/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

मियाद अधिनियम के प्रा.पत्र का जबाव मय शपथ पत्र पेश किया है ।इसलिए मियाद के बिन्दु पर अपील खारिज किये जाने योग्य है। गुणावगुण के आधार पर वकील रेस्पो. ने कथन किया कि अधी.न्यायालय में वाद पेश होने पर जबाव दावा आया एवं तनकीयात निर्मित होने पर उन पर साक्ष्य लेने के के पश्चात अधी.न्यायालय ने प्रत्येक तनकी का निर्णय करते हुए वाद स्वीकार किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील खारिज की जावें। अपने पक्ष के समर्थन में वकील रेस्पो. ने आरआरडी 2007 पेज 311, आरआरडी 2013 पेज 189, डीएनजे 2014 पेज 405, डीएनजे 2014 (एससी)310 की नजीरें पेश की ।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 14.06.2016 के विरूद्ध दिनांक 08.12.2016 को पेश की है जिसके लिये अपीलांट ने मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है जिसका जबाव रेस्पो. ने दिया है । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र में वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्याय हित में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है अपीलांट के वकील ने अपनी बहस में यह कथन किया कि अधी.न्यायालय द्वारा आवश्यश्क तनकीतयात कायम नहीं की है कौन सी तनकी बननी चाहिए थी यह अंकित नहीं किया है। इसके अलावा जब

12/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अधी.न्यायालय में तनकीयात कायम की थी तो उस समय अपीलांट द्वारा अपनी आपत्ति पेश करने का कोई कथन नहीं किया है । ऐसी स्थिति अपीलांट ने जो आधार अपील में लिये है ,उनके आधार पर अपील स्वीकार किये जाने येाग्य नहीं होने से अस्वीकार की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

12/9/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर

डिक्री व सीगे अपील

(ओ. 41 रूल 35, जाब्ता दिवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'G'-9)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

इजलाल श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस., राजस्व अपील प्राधिकारी

1. हरीराम पुत्र प्रभुराम
2. नरेश कुमार पुत्र हरीराम
3. सुरेन्द्र कुमार पुत्र हरीराम
4. रेणु पुत्री हरीराम

जाति नाई निवासीगण 4 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलांट्स

बनाम

1. मोहित (नाबालिग) जरिये पिता व कुदरती बली राजकुमार पुत्र कृष्णलाल जाति नाई निवासी वार्ड नं. 14 सूरतगढ ब्राहमण धर्मशाला के पास सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. सुपन पुत्री हरीराम जाति नाई निवासी वार्ड नं. 14 सूरतगढ ब्राहमण धर्मशाला के पास सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।

—रेस्पोंडेंट्स

अपील संख्या 21 सन् 2017 व नाराजगी डिक्री अदालत उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर निर्णय दिनांक 14.06.2016

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 12 माह 09 सन् 2017 रूबरू मुझ हाजरी श्री भगतसिंह जाखड अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट व श्री रणजीत सारड़ीवाल अभिभाषक रेस्पों व श्री इकबाल सिंह सिद्धु राजकीय अधिवक्ता समाहत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है।

12/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेर तादादी मुबलिग ....X.......)
रूपये ..... X ....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... X ....
अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 12 माह 09 सन् 2017 को जारी किया गया।

12/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर

आयालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर सत्यमेव जयते